

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया सहित }

1. जिला— भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर थाना— सीपीएस जयपुर वर्ष 2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 21/22 दिनांक 26/1/22
2. (1) अधिनियम 2018 धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120वी भादस
(2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धाराये:-
(3) अधिनियम धाराये :-
(4) अन्य अधिनियम व धाराये :-
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 615 समय 12.05 PM,
(ब) अपराध के घटने का दिन :— मंगलवार, दिनांक 25.01.2022, समय 11.45 ए0एम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :— 24.01.2022 समय 07.00 ए0एम
4. सूचना की किस्म :— लिखित
5. घटनास्थल :—
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :— चौकी से उत्तर पूर्व में करीब 120 किमी 10 दूर।
(ब) पता :— पटवार मण्डल पाली द्वितीय।
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :—
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :—
श्री जयराम पुत्र श्री केशाराम जी जाट उम्र 83 वर्ष पेशा रिटायर्ड शिक्षक निवासी 30 टांको का बास पाली।
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :—
 1. श्री कमल किशोर पंवार पुत्र श्री ताराचंद पंवार जाति दर्जी उम्र 42 वर्ष निवासी आशापुरा नगर खोड़िया बालाजी पुनायता रोड पुलिया के आगे पाली हाल पटवारी पटवार मण्डल पाली द्वितीय तहसील व जिला पाली
 2. श्री चिकूराम पुत्र श्री बन्नाराम जाति सांसी उम्र 33 वर्ष निवासी सांसी बस्ती, नया गांव पुलिस थाना ट्रांसपोर्टमंगर जिला पाली
 3. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :— कोई नहीं।
 4. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां :—
 5. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य ट्रेप राशि 30,000/- रु0.
 6. पंचनामा / यूडी केस संख्या (अगर हो तो).....
 7. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट

सेवामें

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय,
A.C.B जालौर

विषय :- रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने के कम में।
महोदयजी,

मैं जयराम पुत्र श्री केशाराम जी जाट उम्र 83 वर्ष पेशा रिटायर्ड शिक्षक निवासी 30 टांको का बास पाली मोबाइल नम्बर 9784799311 का रहने वाला हूं। मेरे जमीन के रेकार्ड में मेरे पिताजी के जाति जाट के स्थान पर घांची दर्ज हो गया था जिसके सुधार के लिये मैंने एसडीएम न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था जिस पर एसडीएम न्यायालय द्वारा जाति सुधार का दुरस्तीकरण निर्णय पारित कर करीब दो माह पूर्व तहसीलदार पाली को आदेश की प्रति प्रेषित की गई थी जिसके बावजूद पटवारी श्री कमल किशोर चक द्वितीय पाली ने नाम दुरस्तीकरण नहीं किया है एवं न ही हमें खातेदारी हक का नामान्तरकरण दर्ज किया है व इस कार्य को करने के लिये मेरे से 50,000/- अक्षरे पचास हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। परन्तु मैंने मना कर दिया था। फिर इन्होंने मुझे कहा कि मैं घर आकर ले लूंगा और आपके कागज एक दो दिन में कर दूंगा। पटवारी श्री कमल किशोर अत्यन्त चालाक व शातिर है। वह रिश्वत की मांग केलकुलेटर से या ईशारे से ही करता है। साथ ही अपने मुंह से साफ मना करता रहता है। पटवारी कमल किशोर अपने ऑफीस में एक दो दलाल खड़े रखता है व उनको मौके से पैस (रिश्वत) दिलवाता है और मौके से तुरन्त रवाना कर देता है। पटवारी श्री कमल किशोर के लिये रिश्वत की पुरी बात भी दलाल ही करते हैं। यह स्वयं मुंह से मांग नहीं करता है। सिर्फ हाथ से या लिख कर बताता है। मैं श्री कमल किशोर पटवारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी कमल किशोर पटवारी से कोई दुश्मनी नहीं है एवं न ही कोई पैसे का लेने देन बकाया है। अतः श्रीमान को रिपोर्ट पेश कर अर्ज है कि उचित कानूनी कार्यवाही करावें।

दिनांक 24.01.2022

प्रार्थी

जयराम पुत्र श्री केशाराम जी जाट उम्र 83 वर्ष निवासी 30 टांको का बास पाली मोबाइल नम्बर 9784799311

एसडी सुरेन्द्र कुमार एसडी केलाशचन्द्र एसडी राजेन्द्रसिंह नि.पु. एसडी महावीरसिंह अ.पु.अ.

25.01.2022

25.01.2022

24.01.2022

24.01.2022

कार्यवाही पुलिस दिनांक 24.01.2022 समय 07.00 ए0एम०

इस समय परिवादी श्री जयराम पुत्र श्री केशाराम जी जाट उम्र 83 वर्ष पेशा रिटायर्ड शिक्षक निवासी 30 टांको का बास पाली ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट मन् महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश की कि जयराम पुत्र श्री केशाराम जी जाट उम्र 83 वर्ष पेशा रिटायर्ड शिक्षक निवासी 30 टांको का बास पाली मोबाइल नम्बर 9784799311 का रहने वाला हूं। मेरे जमीन के रेकार्ड में मेरे पिताजी के जाति जाट के स्थान पर घांची दर्ज हो गया था जिसके सुधार के लिये मैंने एसडीएम न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था जिस पर एसडीएम न्यायालय द्वारा जाति सुधार का दुरस्तीकरण निर्णय पारित कर करीब

दो माह पूर्व तहसीलदार पाली को आदेश की प्रति प्रेषित की गई थी जिसके बावजूद पटवारी श्री कमल किशोर चक द्वितीय पाली ने नाम दुरस्तीकरण नहीं किया है एवं न ही हमें खातेदारी हक का नामान्तरकरण दर्ज किया है व इस कार्य को करने के लिये मेरे से 50,000/- अक्षरे पचास हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। परन्तु मैंने मना कर दिया था। फिर इन्होंने मुझे कहा कि मैं घर आकर ले लूंगा और आपके कागज एक दो दिन में कर दूंगा। पटवारी श्री कमल किशोर अत्यन्त चालाक व शातिर है। वह रिश्वत की मांग केलकुलेटर से या ईशारे से ही करता है। साथ ही अपने मुंह से साफ मना करता रहता है। पटवारी श्री कमल किशोर अपने ऑफीस में एक दो दलाल खड़े रखता है व उनको मौके से पैस (रिश्वत) दिलवाता है और मौके से तुरन्त रवाना कर देता है। पटवारी श्री कमल किशोर के लिये रिश्वत की पुरी बात भी दलाल ही करते हैं। यह स्वयं मुंह से मांग नहीं करता है। सिर्फ हाथ से या लिख कर बताता है। मैं श्री कमल किशोर पटवारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी कमल किशोर पटवारी से कोई दुश्मनी नहीं है एवं न ही कोई पैसे का लेन देन बकाया है। अतः श्रीमान को रिपोर्ट पेश कर अर्ज है कि उचित कानूनी कार्यवाही करावें। परिवादी श्री जयराम ने यह लिखित रिपोर्ट में स्वयं द्वारा लिखना तथा उक्त रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा रिपोर्ट में लिखे सभी तथ्य सही होना बताया। परिवादी श्री जयराम ने यह भी बताया कि श्री कमल किशोर पटवारी भ्रष्ट एवं शातिर प्रवृत्ति का है। वह बिना रिश्वत लिये किसी का काम नहीं करता है। वह रिश्वत राशि अपने मुंह से कह कर नहीं मांगता है एवं न ही स्वयं लेता है। अपने कार्यालय में दो तीन दलाल रखता है जिनके मार्फत ही रिश्वत लेता है तथा रिश्वत लेते ही उन्हे कार्यालय से रवाना कर देता है। एसडीएम न्यायालय पाली से मेरे पक्ष में निर्णय होने के बावजूद भी करीब डेढ़ माह से मुझे बार-बार चक्कर कटवा रहा है। मैं वृद्ध होकर वरिष्ठ नागरिक हूं। इसके बावजूद मेरे काम को करने में देरी किये हुए है। मैं उनसे मेरे जायज काम के लिये बात करूंगा तो वो मेरे से भी बिना रिश्वत लिये काम नहीं करेंगे तथा न ही मेरे से रिश्वत की बात करेगा। रिश्वत राशि ईशारों से या केलकुलेटर पर अंकित करके ही बताता है। करीब दो दिन पूर्व मैंने मेरे कार्य के लिए पटवार मण्डल पाली द्वितीय में जाकर श्री कमल किशोर पटवारी से मिला तो उन्होंने मुझसे भी अपने केलकुलेटर में पचास हजार रिश्वत राशि अंकित कर देने हेतु कहा तथा यह भी कहा कि पचास हजार नहीं देने पर एसडीएम न्यायालय से जारी आदेश को नोट लगाकर खारिज करवा दूंगा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस को कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी श्री जयराम से उनका परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्य एवं उसके कथनों से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कानिं० श्री विकमसिंह नं० 556 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय कक्ष में बुलाकर मालखाना से डिजीटल टेप रिकार्ड मंगवाकर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री जयराम से उसका आपस में परस्पर परिचय करवाया गया। तत्पश्चात् कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्ड श्री विकमसिंह कानिं० को सुपूर्द कर हिदायत दी की कि परिवादी श्री जयराम के साथ कलेक्ट्रेट पाली जाकर श्री कमल किशोर पटवारी से सम्पर्क कर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन कराकर लावे। इत्यादी हिदायत देकर परिवादी श्री जयराम तथा श्री विकमसिंह कानिं० को पटवार मण्डल पाली द्वितीय के लिए रवाना किया गया।

दिनांक 24.01.2022 को वक्त 01.30 पी०एम० पर रिश्वती राशि मांग सत्यापन में गये हुये श्री विकमसिंह कानिं० हमरा परिवादी श्री जयराम के ब्यूरो कार्यालय में मन् निरीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आये। श्री विकमसिंह कानिं० ने डिजीटल टेप रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द करते हुऐ बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार आज दिनांक 24.01.2022 को ब्यूरो कार्यालय से परिवादी जयराम के साथ रवाना होकर कलक्ट्रेट परिसर में स्थित पटवार मण्डल पाली द्वितीय के समीप पहुँचा। जहां परिवादी श्री जयराम ने अपने स्तर पर पटवारी श्री कमल किशोर की उपस्थिति के बारे में मालूमात की तो ज्ञात हुआ कि पटवारी श्री कमल किशोर पटवार घर में ही उपस्थित है। जिस पर परिवादी श्री जयराम को कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर ऑन कर सुपुर्द कर पटवार मण्डल पाली द्वितीय में जाकर श्री कमल किशोर पटवारी से सम्पर्क कर गोपनीय रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु रवाना किया। मन् कानिं० आस पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के इन्तजार में व्यस्त रहा। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री जयराम उपस्थित आया। परिवादी से डिजीटल टेप रिकार्ड प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर स्वंय के कब्जे लिया गया। परिवादी ने बताया कि श्री कमल किशोर पटवारी मुझे अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित मिले। जिनसे मैंने मेरे म्यूटेशन संबंधी नकल प्रति देने हेतु कहा तो पटवारीजी ने रूपये पैसे मांगने व लेने से आनाकानी करते रहे तथा पास ही पडे केलकुलेटर में तीस हजार रूपये अंकित कर दिखाते हुए उपस्थित काले रंग की जैकेट पहने हुए व्यक्ति को तीस हजार रिश्वत राशि देने का ईशारा किया। तत्पश्चात् उक्त व्यक्ति (दलाल) पटवार कक्ष से मेरे साथ बाहर की तरफ आया। जिस पर मेरे द्वारा उक्त व्यक्ति का नाम पूछा तो उसने अपना नाम नहीं बताया परन्तु उसने कहा कि पटवारजी मुंह से रूपये का नाम नहीं लेंगे आप मुझे तीस हजार रूपये लाकर दे दो मैं आपकी नकल प्रतिया पटवारीजी से दिलवा दूंगा। वगैरा वार्ता उक्त टेप रिकार्डर में रिकार्ड है। तत्पश्चात् मैं एंव परिवादी श्री जयराम पटवार मण्डल पाली द्वितीय से रवाना होकर आपके समक्ष उपस्थित आये हैं। उपस्थित परिवादी ने भी कानिं० श्री विकमसिंह के कथनों की ताईद की। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस ने डिजीटल टेप रिकार्डर को ऑन कर रिवर्स कर सुना तो कानिं० श्री विकमसिंह एंव परिवादी श्री जयराम के कथनों की ताईद होते हुए रिश्वती राशि मांग की पुष्टि होना पाया गया। जिस पर अग्रिम ट्रेप का आयोजन दिनांक 25.01.2022 को करने निर्णय लिया गया। ट्रेप कार्यवाही दिनांक 25.01.2022 को किया जाना सुनिश्चित होने से टेप रिकार्डर जिसमें रिश्वती राशि मांग की वार्तालाप रिकार्ड को सुरक्षित मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने कब्जे में रखा। जिसकी आईन्दा गवाहन एंव परिवादी के रुबरु ट्रांसक्रिप्ट्स रिश्वती राशि मांग सत्यापन एंव सीड़ीया तैयार करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री जयराम को हिदायत दी कि आरोपी श्री कमल किशोर पटवारी द्वारा रिश्वत में मांगी गई राशि तीस हजार रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 25.01.2022 को ब्यूरो कार्यालय जालोर पर उपस्थित आवें इत्यादि हिदायत देकर परिवादी श्री जयराम को रुखरत किया गया। तत्पश्चात् ट्रेप कार्यवाही में खतन्त्र गवाहान की आवश्कता होने से कार्यालय सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग जालोर के नाम हैड कानिं० श्री सुखाराम को एक तहरीर देकर गवाहान तलब कर लाने हेतु निर्देशित किया गया। उपरोक्त फिकरा के गये हुऐ हैड कानिं० श्री सुखाराम मय दो खतन्त्र गवाह ब्यूरो कार्यालय जालोर में उपस्थित आये। उपस्थित गवाहान का मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना

परिचय देकर उनका परिचय पुछा तो उन्होंने अपना नाम श्री श्री सुरेन्द्रकुमार दौराता पुत्र श्री प्रहलादराम दौराता उम्र 26 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम बनका पोस्ट गोपालपुरा तहसील कोटपुतली जिला जयपुर ग्रामीण हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जालोर मोबाईल नम्बर 9799990134 एवं श्री कैलाशचन्द गुर्जर पुत्र श्री रामावतार गुर्जर उम्र 24 वर्ष जाति गुर्जर निवासी लुहाकना कंला पोस्ट लुहाकना खुर्द तहसील विराटनगर जिला जयपुर ग्रामीण हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जालोर मोबाईल नम्बर 7877109084 होना बताया। तत्पश्चात् उपस्थित गवाहान को यहां आने के मन्तव्य से अवगत कराकर दिनांक 25.01.2022 को वक्त 07.00 ए0एम0 पर ब्यूरो कार्यालय जालोर में उपस्थित आने की हिदायत देकर रुखस्त किया गया। साथ ही ब्यूरो जाप्ता को भी दिनांक 25.01.2022 को वक्त 07.00 ए0एम0 पर ब्यूरो कार्यालय जालोर में उपस्थित होने की हिदायत दी गई।

दिनांक 25.01.2022 को वक्त 07.00 ए0एम0 पर पूर्व पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं ब्यूरो जालोर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय जालोर में उपस्थित आये। कुछ समय पश्चात् पूर्व पांबद शुदा परिवादी श्री जयराम ब्यूरो कार्यालय जालोर में उपस्थित आया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय कक्ष में उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहन का परिवादी श्री जयराम से परस्पर परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढ़कर सुनाया व पढ़ाया गया तथा परिवादी एवं आरोपी के मध्य दिनांक 24.01.2022 को हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल ट्रैप रिकार्ड में रिकार्ड है को स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया एवं गवाहान ने भी परिवादी से विस्तृत पुछताछ कर तस्सली कर ट्रैप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहन बनने की सहमति प्रदान की एवं परिवादी की रिपोर्ट पर अपने—अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री जयराम से आरोपी श्री कमल किशोर पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 30,000 रुपये पेश करने हेतु कहा गया तो उसने अपनी जेब में से पांच—पांच सौ रुपये के कुल साठ नोट कुल 30,000 रुपये पेश किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटों के नंबर निम्नानुसार है :—

1.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	2	GG	572225
2.	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	3	LP	095013
3	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	7	GR	687105
4	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	9	DG	295729
5	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	0	BF	234296
6	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6	QP	333569
7	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	1	ED	441294
8	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	0	DT	364911
9	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	4	MN	740617
10	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	0	KV	706101
11	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6	NE	101848
12	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6	UC	538488

13	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	9	CC	404534
14	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	1	DP	147331
15	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8	PB	745168
16	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	4	FQ	176819
17	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	5	AT	442633
18	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	4	UL	721334
19	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	9	DD	314126
20	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6	EC	469983
21	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6	FY	198246
22	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	9	BB	120879
23	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8	LU	541889
24	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	5	FN	134359
25	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	1	ED	929413
26	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8	BM	735447
27	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	7	CM	338145
28	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	9	UR	204133
29	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	3	WC	273422
30	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	1	LN	107567
31	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	5	ES	934934
32	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8	VL	088357
33	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	1	AH	025541
34	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	7	RL	896935
35	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	1	CC	611588
36	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	2	AT	758081
37	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6	QN	899414
38	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	5	GE	261603
39	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	5	TG	532808
40	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6	BD	561601
41	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	9	VM	097900
42	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	5	HQ	513359
43	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	5	MG	158697
44	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	5	EC	042025
45	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6	NW	290680
46	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	4	UE	668780
47	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	3	ME	330046
48	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8	DN	081260

49	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	7	KV	113386
50	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	7	EN	412278
51	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	3	PM	557726
52	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	3	EK	354273
53	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	3	EK	057453
54	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	4	SG	368266
55	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	0	LQ	267032
56	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	2	GH	319902
57	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	7	GC	955793
58	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6	AU	763634
59	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8	BD	558838
60	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8	ED	995333

मालखाना प्रभारी श्री सुखाराम हैड कानिंह नं० 96 से फिनोफथलीन पाउडर की शिशि मंगवाई गई। उपरोक्त सभी नोटों को अखबार पर रखवाये जाकर नोटों पर श्री गुलाबसिंह कानिंह नं० 140 से फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री जयराम की जामा तलाशी गवाह श्री सुरेन्द्र कुमार दौराता कनिष्ठ सहायक से लिवाई गई तो परिवादी के पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। इसके बाद फिनोफथलीन पाउडर युक्त 30,000/- रुपये के नोट श्री गुलाबसिंह कानिंह नं० 140 से ही परिवादी के पहनी हुई कमीज की बांधी जेब में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह अपनी जेब में रखे नोटों को हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी श्री कमलकिशोर पटवारी द्वारा मांगने पर ही निकालकर उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व आरोपी से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन करने की आवश्यकता पड़े तो दूर से दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर ले। आरोपी रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता है अथवा कहाँ छुपाता है या किस व्यक्ति को दिलवाता है इसका भी ध्यान रखें। परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर दो तीन बार हाथ फेर कर या अपने मोबाईल से मनूषी निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल कर गोपनीय ईशारा करे। तत्पश्चात एक कांच की साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री गुलाबसिंह कानिंह नं० 140 के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाई शक्ति की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की किया—प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। फिर गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवा कर उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया जिस पर नोटों को रखकर फिनोफथलीन

पाउडर लगाया गया था। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में ली जाने वाली सामग्री वगैरहा को भी साफ पानी व साबुन से दो-दो बार धुलवाया गया एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर कोई आपत्तिजनक वरतु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस ने अपना मोबाइल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री गुलाबसिंह कानिं ० नं० १४० को ट्रेप कार्यवाही से पृथक रखने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय निगरानी हेतु पीछे छोड़ा गया। उक्त कार्यवाही का विस्तृत विवरण फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि एवं प्रदर्शन फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर में किया जाकर फर्द पर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द शामिल रहनिंग नोट की गयी।

तत्पश्चात् ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस मय श्री महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र गवाहन श्री सुरेन्द्र कुमार व श्री कैलाशचन्द्र गुर्जर एवं ब्यूरो जाब्ता हैड कानिं० श्री सुखाराम नं० ९६, श्री भवानीसिंह कानिं०, श्री विकमसिंह कानिं०, श्री कालूराम कानिं०, श्री आदूराम कानिं०, श्री गोपाल कुमार कानिं० मय डिजीटल टेप रिकार्डर, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स एवं आवश्यक सामग्री के जरिये सरकारी व निजी वाहनो के भ्रनिब्यूरो चौकी जालोर से पटवार मण्डल पाली द्वितीय की तरफ रवाना हुए। श्री गुलाबसिंह कानिं० को निगरानी हेतु कार्यालय पर छोड़ा गया। उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा कलकट्रेट परिसर में स्थित पटवार मण्डल पाली द्वितीय के पास पहुँचकर परिवादी श्री जयराम से आरोपी श्री कमल किशोर पटवारी की उपस्थिति के बारे में जानकारी ज्ञात की तो श्री कमल किशोर पटवारी पटवार घर पाली द्वितीय में उपस्थित होना ज्ञात हुआ। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री जयराम को डिजीटल टेप रिकार्डर ऑन कर चलाने की समझाईस कर उसे सुपूर्द कर रिश्वती राशि देने हेतु पटवारी श्री कमल किशोर के पटवार घर पाली द्वितीय तरफ रवाना करते हुए हिदायत दी कि पटवारी श्री कमल किशोर के मिलने पर उक्त रिश्वती राशि उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने के पश्चात उससे हाथ नहीं मिलावे एवं ट्रेप पार्टी को देखते हुए पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा करे व रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता को डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड करे। मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के पटवार मण्डल पाली द्वितीय के ईर्द-गिर्द अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में व्यस्त हुए।

कुछ समय पश्चात् रूबरू मौतबीरान परिवादी श्री जयराम ने कलकट्रेट परिसर में स्थित पटवार मण्डल द्वितीय पाली के बाहर मुख्य गेट पर आकर एक अन्य व्यक्ति जो मोटर साईकिल पर खड़ा है के पास से पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने सिर पर दो तीन बार हाथ फेरे कर किया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस राजेन्द्रसिंह मय श्री महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान खंत्रत गवाहन एवं ब्यूरो जाब्ता के शीघ्र ही रवाना होकर परिवादी श्री जयराम के पास पहुँच पूर्व में दिये गये डिजीटल टेप रिकार्डर को प्राप्त कर ऑफ कर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने कब्जे लिया। परिवादी श्री जयराम ने अपने पास खडे मोटर साईकिल पर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि कुछ समय पहले मैं पटवार मण्डल द्वितीय पाली पहुँच श्री कमल किशोर पटवारी से अपने जाति शुद्धिकरण

का म्यूटेशन भर नकल प्राप्त करने हेतु मिला था। जिस पर श्री कमल किशोर पटवारी ने मुझे अपने पास खड़े एक अन्य व्यक्ति (दलाल) को रूपये देने का ईशारा किया। जिस पर मैंने रिश्वत राशि 30,000 रूपये अपनी जेब से निकाल कर उक्त दलाल को दे दिये। तत्पश्चात् उक्त अन्य व्यक्ति (दलाल) ने उक्त रिश्वती राशि अपने दाहिने हाथ से लेकर अपनी पहनी हुई जिन्स पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में रखे। तत्पश्चात् उक्त व्यक्ति पटवार घर से रवाना हो गया तथा बाहर खड़ी अपनी मोटर साईकिल के पास पहुंचा। जिस पर मैं उक्त व्यक्ति के पीछे पीछे पटवार घर के मुख्य गेट के पास पहुंचा तथा मैंने उक्त दलाल से उसका नाम पूछा तो उक्त व्यक्ति बिना कुछ बताये ही जाने लगा। जिस पर मैंने आपको पूर्व में निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने सिर पर दो तीन बार हाथ फेर कर किया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना एवं हमरायान का परिचय देते हुए यहां आने के मन्तव्य से अवगत करवाकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय चिकूराम पुत्र श्री बन्नाराम जाति सांसी उम्र 33 वर्ष निवासी सांसी बस्ती, नया गांव पुलिस थाना ट्रांसपोर्टनगर जिला पाली होना बताया। जिस पर सह आरोपी श्री चिकूराम को परिवादी को जानने एवं परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने के बारे में पूछा गया तो सह आरोपी श्री चिकूराम ने बताया कि मैं उक्त व्यक्ति को नहीं जानता हूं। मैंने इनसे यह राशि श्री कमल किशोर पटवारीजी के कहेनुसार प्राप्त की है। उक्त राशि से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस राजेन्द्रसिंह मय सह आरोपी श्री चिकूराम मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहन मय ब्यूरो जाब्ता को हमराह लेकर पटवार मण्डल पाली द्वितीय के कार्यालय के अन्दर प्रवेश हुआ। परिवादी श्री जयराम ने कमरे में बैठे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही श्री कमल किशोर पटवारी है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना व हमरायान का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम कमल किशोर पुत्र श्री ताराचंद जाति दर्जी उम्र 42 वर्ष निवासी सुंदर नगर पाली हाल पटवारी पटवार मण्डल पाली द्वितीय तहसील व जिला पाली होना बताया। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस ने श्री चिकूराम की तरफ ईशारा कर श्री कमल किशोर को पहचानने के लिये कहा तो श्री कमल किशोर पटवारी ने बताया कि यह कुछ समय पहले मेरे पास मौके की रिपोर्ट लेने आया था। तत्पश्चात् परिवादी श्री जयराम की तरफ ईशारा कर उसे पहचानने के लिए कहा तो श्री कमल किशोर पटवारी ने बताया कि यह जयराम जी रिटायर्ड अध्यापक है। श्री जयराम जी के एसडीएम कोर्ट पाली में अपने पिताजी स्वर्गीय केशाराम की जाति घांची से जाट का शुद्धिकरण करवाकर कृषि भूमि में म्यूटेशन भरने के आदेश प्रदान किये गये हैं। उक्त कार्य हेतु श्री जयराम कल दिनांक 24.01.2022 को मेरे पास आये थे। इनको म्यूटेशन की नकल देने हेतु आज बुलाया था इसलिए श्री जयराम जी म्यूटेशन की प्रति लेने मेरे कार्यालय में आये थे। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस ने श्री कमल किशोर पटवारी को परिवादी श्री जयराम से किसी प्रकार की कोई राशि प्राप्त करना अथवा किसी को दिलाने वाले पूछा तो श्री कमल किशोर पटवारी चुप हो गया। तत्पश्चात् पास ही खड़े परिवादी श्री जयराम ने बताया कि मैंने एसडीएम कोर्ट पाली में अपने पिताजी स्वर्गीय केशाराम की जाति घांची से जाट का शुद्धिकरण हेतु वाद संख्या 11/2019 प्रस्तुत किया था। जिस पर श्रीमान एसडीएम साहब पाली ने अपने आदेश कमांक 1308 दिनांक 16.12.2021 द्वारा दिनांक 27.09.2022 को दिये गये निर्णय की प्रति तहसीलदार पाली को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की

गई थी। जिस पर तहसीलदार पाली द्वारा अपने पत्रांक 4016 दिनांक 21.12.2021 को पटवारी हल्का पटवारी द्वितीय को राजस्व वाद संख्या 11/2019 वादी जयराम पुत्र श्री केशराम जाति जाट वगैरा निवासी पाली बनाम प्रतिवादीगण मेवा पुत्र हजारी गुर्जर वगैरह निवासी पाली में निर्णय दिनांक 27.09.2021 की प्रतिया भिजवाई जाकर माफिक निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड में आमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया था। परन्तु इसके बावजूद भी करीब डेढ़ माह से पटवारी श्री कमल किशोर मुझे चक्कर कटवा रहा था तथा मेरे से रिश्वती राशि पचास हजार रुपये अपने केलकुलेटर में अंकित कर मांग कर रहे थे। जिस पर मैंने कल दिनांक 24.01.2022 को जालोर पहुंच एसीबी कार्यालय में एक रिपोर्ट पेश की थी। जिस पर दिनांक 24.01.2022 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दौरान श्री कमल किशोर पटवारीजी ने अपने केलकुलेटर में तीस हजार रुपये अंकित कर मुझे बताते हुए पास ही खड़े एक अन्य व्यक्ति जो काली जैकेट में खड़ा था उसे देने के लिए ईशारा किया। मैंने उक्त व्यक्ति (दलाल) का नाम पूछा तो उसने नाम बताने से मना किया। जिस पर मैंने उसे पटवारी श्री कमल किशोर से मेरा काम करवाने का कहा तो उसने भी तीस हजार रुपये पटवारीजी को देने का कहा तथा कहा कि मैं उनकी ही भाषा में बात कर रहा हूं। आप रुपये लेकर आ जाना मैं शाम तक आपको नकल दिलवा दूंगा। जिस पर आज दिनांक 25.01.2022 को पटवारीजी से मिला तो उन्होंने मुझे अपने पास खड़े दलाल को रुपये देने का कहा तो मैंने उक्त रिश्वती राशि दलाल श्री चिकूराम को दे दी। इस दौरान पटवार घर पाली द्वितीय कलवट्रेट परिसर पाली में आस पास अत्यधिक भीड़ एकत्रित होने से आरोपी श्री कमलकिशोर पटवारी व सह आरोपी श्री चिकूराम को दस्तयाब कर सुरक्षा की दृष्टि से भ्रनिव्यूरो चौकी पाली प्रथम ले जाकर अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस, हमराह दस्तयाब शुदा आरोपी श्री कमल किशोर पटवारी व सह आरोपी श्री चिकूराम, स्वतन्त्र गवाहन मय परिवादी मय व्यूरो जाब्ता के पटवार मण्डल पाली द्वितीय से जरिये सरकारी व निजी वाहनों के भ्रनिव्यूरो पाली प्रथम के लिए रवाना हुऐ।

तत्पश्चात् उपरोक्त फिगरा के रवाना शुदा भ्रनिव्यूरो पाली प्रथम पहुंचे। तत्पश्चात् भ्रनिव्यूरो पाली के कार्यालय कक्ष में आरोपी श्री कमल किशोर पटवारी व सह आरोपी श्री चिकूराम को लाया गया तथा सह आरोपी श्री चिकूराम के हाथों का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के रूबरू सह आरोपी श्री चिकूराम के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। कांच की दो साफ गिलासों में पीने का साफ पानी मंगवाया जाकर इस पानी में ऐक-एक चम्च सोडियम कार्बोनेट का पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अंपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में सह आरोपी श्री चिकूराम के दांहिने हाथ की अंगुलियों को घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। इसी प्रकार तैयार घोल के दूसरे गिलास में सह आरोपी श्री चिकूराम के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर झाँईदार हो गया जिसे सभी हाजरीनों ने स्वीकार किया। उक्त

घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा—आधा भर कर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल.एच.—1 व एल.एच—2 अंकित किया गया। तत्पश्चात गवाह श्री सुरेन्द्र कुमार दौराता कनिष्ठ सहायक से सह आरोपी श्री चिकूराम की जामा तलाशी लिरवाई गई तो उसके पहनी हुई जिन्स की पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में पांच—पांच सौ रुपये की गड़डी पाई गई। उक्त गड़डी को जेब से बाहर निकलवाया जाकर उक्त गवाह श्री सुरेन्द्र कुमार दौराता कनिष्ठ सहायक से गिनवाया गया तो भारतीय मुद्रा के पांच—पांच सौ के साठ नोट कुल 30,000 रुपये होना पाये गये। दूसरे स्वतन्त्र गवाह श्री कैलाशचन्द्र गुर्जर कनिष्ठ सहायक को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेशकशी की प्रति देकर इन नोटों के नंबरों का मिलान करवाया गया तो सभी नोटों के नंबर फर्द पेशकशी के मुताबिक हुबहु पाये गये। उपरोक्त बरामदा कुल राशि 30,000 रुपये को एक कपड़े की थैली में सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित किया जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिये गए। तत्पश्चात सह आरोपी श्री चिकूराम की जामा तलाशी में उक्त रिश्वती राशि 30,000 रुपये के अलावा सह आरोपी के पास जामा तलाशी के दौरान मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई वस्तु, दस्तावेज एंव राशि वगैरहा नहीं पाई गई एंव न ही कब्जा ब्यूरो ली गई। सह आरोपी श्री चिकूराम का मोबाईल उसे पुनः सुपुर्द किया गया। चूंकि रिश्वती राशि 30,000 रुपये सह आरोपी श्री चिकूराम के वक्त वाका पहनी हुई जिन्स पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब से बरामद हुई है, उक्त पेन्ट की दाहिनी जेब का धोवन लेना आवश्यक होने से उसके पहनने हेतु एक अन्य पेन्ट उपलब्ध करवाई जाकर उसके वक्त वाका पहनी हुई जिन्स पेन्ट को उतरवाया जाकर अवलोकन किया गया तो उक्त पेन्ट बरंग ब्लू कलर की होकर Tommy HILFIGER का लेबल लगा होना पाया गया। तत्पश्चात एक अन्य साफ गिलास में साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर इस पानी में एक चम्च सौडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में सह आरोपी श्री चिकूराम के वक्त वाका पहनी हुई जिन्स पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब को उलटवाकर घोल में 2—3 बार छुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा—आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर पी—1 व पी—2 अंकित किया गया। उक्त जिन्स पेंट की जेब को हवा एंव धूप में सुखाया जाकर उक्त जेब पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर थैली पर प्रक्रिया का विवरण अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वती राशि लेन—देन वार्तालाप को सुना गया तो आरोपी, सह आरोपी व परिवादी के मध्य लेन—देन वार्तालाप होना पाया गया, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से मुर्तिब की जाएगी। तत्पश्चात आरोपी श्री कमल किशोर पटवारी की जामा तलाशी गवाह श्री कैलाशचन्द्र कनिष्ठ सहायक से लिरवाई गई तो आरोपी के पहने हुए कपड़ों के अलावा अन्य कोई वस्तु, दस्तावेज एंव राशि वगैरहा नहीं पाई गई एंव न ही कब्जा ब्यूरो ली गई। परिवादी श्री जयराम के जाति शुद्धिकरण के म्यूटेशन संबंधी दस्तावेजात के सबंध में आरोपी श्री कमल किशोर पटवारी से पुनः पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि परिवादी श्री जयराम के राजस्व वाद संख्या

11/2019 वार्दी जयराम पुत्र श्री केशाराम जाति जाट वगैरा में म्यूटेशन रजिस्टर में दिनांक 10.01.2022 को मेरे द्वारा इन्द्राज किया जा चुका है। जिसकी पालना रिपोर्ट तहसीलदार को अब तक भिजवाई नहीं है एवं न ही मेरे द्वारा श्री जयराम को इसकी नकल प्रति दी गई है। उक्त म्यूटेशन की प्रति एवं इससे संबंधित रेकार्ड में पटवार कार्यालय में पड़ा है। अतः परिवादी के पैण्डिंग कार्य से संबंधित दस्तावेजात पटवार कार्यालय पाली द्वितीय से पृथक से जरिये फर्द पेशकशी प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये जायेंगे। तत्पश्चात् उपस्थित श्री महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आरोपी श्री कमल किशोर पटवारी व सह आरोपी श्री चिकूराम को रुबरु किया जाकर प्रकरण से संबंधित पूछताछ की जाकर ब्यूरो के कानिं 0 विक्रमसिंह नं 0 556 के मोबाईल से वीडियोग्राफी करवाई गई। उक्त वीडियोग्राफी की पृथक से कम्प्यूटर के माध्यम से सीडी तैयार करवाई जाकर शामिल रंनिंग नोट की जायेगी। ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सूचना एवं कार्यवाही से संबंधित सम्पूर्ण हालात श्री महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ब्यूरो के उच्च अफसरान को निवेदन किए गए।

तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वंत्र गवाहन मय परिवादी श्री जयराम मय आरोपी श्री कमलकिशोर मय ब्यूरो जाब्ता के घटनास्थल का मौका मुआयना व आरोपी के कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी करने हेतु कलेकट्रेट परिसर स्थित पटवार मण्डल पाली द्वितीय की तरफ रवाना हुआ। श्री सुखाराम हैड कानिं 0 तथा कानिं 0 आदूराम को सह आरोपी श्री चिकूराम की निगरानी बाबत आवश्यक हिदायत दी गई। उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा पटवार मण्डल पाली द्वितीय पहुंचा, जहां परिवादी श्री जयराम की निशादेही से रुबरु मौतबीरान के घटनास्थल का मौका मुआयना कर फर्द नक्शा मुर्तिब कर शामिल रंनिंग नोट किया गया। तत्पश्चात् मय स्वंत्र गवाहन मय परिवादी मय आरोपी श्री कमलकिशोर के आरोपी के कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी हेतु पटवार मण्डल पाली द्वितीय रवाना हुआ। तत्पश्चात् आरोपी श्री कमल किशोर के कार्यालय कक्ष की खाना तलाशी प्रारम्भ कर फर्द खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब कर शामिल रंनिंग नोट की गई। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायान के पटवार मण्डल पाली द्वितीय से भ्रनिब्यूरो पाली प्रथम की तरफ रवानाशुदा भ्रनिब्यूरो पाली पहुंचा। तत्पश्चात् परिवादी श्री जयराम एवं आरोपी श्री कमलकिशोर पटवारी के मध्य दिनांक 24.01.2022 को हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल ट्रेप रिकार्डर में रिकॉर्ड है। उक्त वार्ता को रुबरु मौतविरान एवं परिवादी के समक्ष सुन—सुन कर शब्द—बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सी.डी. तैयार कर एक को मूल मानते हुये कपड़े की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दुसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। उक्त दोनों सी.डी. को मालखाना प्रभारी श्री सुखाराम हैड कानिं 0 को सुपुर्द कर जमा ट्रेप बॉक्स करवाई गई। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री जयराम एवं आरोपी श्री कमलकिशोर पटवारी व सह आरोपी श्री चिकूराम के मध्य आज दिनांक 25.01.2022 को रुबरु हुई रिश्वती राशि लेन—देन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल ट्रेप रिकार्डर में रिकॉर्ड हैं। उक्त वार्ताओं को रुबरु मौतविरान एवं परिवादी श्री जयराम के सुन—सुन कर शब्द—बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्टस् रिश्वती राशि लेन—देन वार्ता मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। उक्त


वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सी.डी. तैयार कर एक को मूल मानते हुये कपड़े की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दूसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता की एक शिल्ड शुदा सी.डी. एक व एक डब सी.डी., मालखाना प्रभारी हैड कानिं० श्री सुखाराम नं० ९६ को सुपुर्द कर जमा ट्रेप बॉक्स करवाई गई। आरोपी श्री कमल किशोर पटवारी व सह आरोपी श्री चिकूराम की आवाज की पहचान परिवादी श्री जयराम द्वारा की गई। तत्पश्चात् आरोपी श्री कमल किशोर पटवारी को उनके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह का गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी अलग से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के मित्र श्री रमेश परिहार के मोबाइल नम्बर ९२१४४२०५८२ पर पृथक से दी गई। उसके बाद सह आरोपी श्री चिकूराम को उनके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी अलग से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना सह आरोपी काका श्री अजयराम को मौके पर दी गई। तत्पश्चात् परिवादी श्री जयराम व दोनों स्वतंत्र गवाह श्री सुरेन्द्र कुमार दौराता व श्री कैलाशचन्द गुर्जर कनिष्ठ सहायक को रुखस्त किया गया। गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री कमल किशोर पटवारी व सह आरोपी श्री चिकूराम का चिकित्सक परीक्षण करवाना आवश्यक होने चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय पाली के नाम की तहरीर देकर आरोपी श्री कमल किशोर पटवारी व सह आरोपी श्री चिकूराम को ब्यूरो जाब्ता हैड कानिं० श्री सुखाराम, कानिं० श्री कालूराम मय सरकारी वाहन मय चालक के रवाना कर निर्देशित किया कि आरोपी श्री कमल किशोर पटवारी व सह आरोपी श्री चिकूराम का मेडीकल मुआयना करवाकर उपस्थित आवें। उपरोक्त फिकरा के गये हुए हैड कानिं० श्री सुखाराम मय आरोपी श्री कमलकिशोर पटवारी व सह आरोपी श्री चिकूराम मय ब्यूरो जाब्ता उपस्थित आया एवं हैड कानिं० सुखाराम ने बताया कि आरोपी श्री कमल किशोर पटवारी व सह आरोपी श्री चिकूराम का राजकीय चिकित्सालय पाली से मेडीकल मुआयना करवाकर मेडीकल रिपोर्ट प्राप्त की गई। मेडीकल रिपोर्ट मन० निरीक्षक पुलिस को पेश की जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तत्पश्चात् मौके पर कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण हाजा में जब्त शुदा मालखाना आईटम कमशः सह आरोपी श्री चिकूराम से बरामदा रिश्वती राशि ३०,००० रु, सह आरोपी श्री चिकूराम के दोनों हाथों व अगुंठे के धोवन की शिशियां कमशः मार्क आर.एच.-१, आर.एच.-२, एल.एच.-१, एल.एच.-२ व पी-१, पी-२ मालखाना प्रभारी हैड कानिं० श्री सुखाराम नं० ९६ को सुपुर्द कर जमा ट्रेप बाक्स सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात् मन० निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो जाब्ता श्री कालूराम कानि., श्री आदूराम कानि. के आरोपी श्री कमल किशोर पटवारी व सह आरोपी श्री चिकूराम को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना पाली सदर में जमा करवाने हेतु मय निजी वाहन के भ्रनिब्यूरो पाली से पुलिस थाना पाली सदर के लिए रवाना हुए। उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा पुलिस थाना पाली सदर पहुंचा। आरोपी श्री कमल किशोर पटवारी व सह आरोपी श्री चिकूराम को सुरक्षा की दृष्टि से दाखिल हवालात करवाया गया। ताबाद प्राप्ति रसीद प्राप्त कर रवाना हो मय ब्यूरो जाब्ता के रात्रि मुकीम पाली ही रहा।

उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री कमल किशोर पंवार पुत्र श्री ताराचंद पंवार जाति दर्जी उम्र ४२ वर्ष निवासी आशापुरा नगर खोड़िया वालाजी पुनायता रोड पुलिया के


आगे पाली हाल पटवारी पटवार मण्डल पाली द्वितीय तहसील व जिला पाली द्वारा लोकसेवक होते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर भ्रष्ट एंव अवैध तरीके से परिवादी श्री जयराम के पिताजी की जाति घांची से जाट का शुद्धिकरण करने का म्यूटेशन भरने व खातेदारी हक देने की ऐवज में पचास रूपये की मांग करना, दिनांक 24.01.2021 को वक्त मांग सत्यापन परिवादी श्री जयराम से उक्त कार्य की ऐवज में तीस हजार रूपये केलकुलेटर पर अंकित कर दिखाते हुए अपने कार्यालय में उपस्थित दलाल को देने का ईशारा करने पर मांग की पुष्टि होने पर दिनांक 25.01.2022 को आरोपी श्री कमल किशोर पटवारी के विरुद्ध द्रेप कार्यवाही का आयोजन कर स्वतंत्र गवाहन के रूबरू आरोपी श्री कमल किशोर पटवारी के कहेनुसार रिश्वती राशि तीस हजार रूपये सह आरोपी श्री चिकूराम (दलाल) के कब्जे से बरामद होने पर दस्त्याब किया गया। रिश्वती राशि सह आरोपी श्री चिकूराम (दलाल) पहनी हुई जिन्स पेन्ट की आगे ही दाहिनी जेब से बरामद की गई। आरोपी श्री कमल किशोर पटवारी व सह आरोपी श्री चिकूराम (दलाल) को रिश्वत राशि लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया जाने से हर दोनो आरोपीगणो के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भादस का जुर्म घटित होना प्रथम दृष्ट्या पाया गया है।

अतः श्री कमल किशोर पंवार पुत्र श्री ताराचंद पंवार जाति दर्जी उम्र 42 वर्ष निवासी आशापुरा नगर खोड़िया बालाजी पुनायता रोड पुलिया के आगे पाली हाल पटवारी पटवार मण्डल पाली द्वितीय तहसील व जिला पाली व श्री चिकूराम पुत्र श्री बन्नाराम जाति सांसी उम्र 33 वर्ष निवासी सांसी बस्ती, नया गांव पुलिस थाना ट्रांसपोर्टनगर जिला पाली (प्राईवेट व्यक्ति) के विरुद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भादस में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर कमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें।

भवदीय,

 (राजेन्द्रसिंह)
 निरीक्षक पुलिस,
 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
 जालोर

कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1.श्री कमल किशोर, पटवारी, पटवार मण्डल पाली द्वितीय तहसील व जिला पाली एवं 2.श्री चिकूराम पुत्र श्री बन्नाराम निवासी सांसी बस्ती, नया गांव पुलिस थाना ट्रांसपोर्टनगर जिला पाली के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 21/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।


26.1.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक: 178-82 दिनांक 26.1.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, पाली।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर।


26.1.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।